



झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 कार्तिक, 1947 (श०)

संख्या - 35 राँची, बुधवार

12 नवम्बर, 2025 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

पृष्ठ

भाग 1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 727- 748
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।

भाग 1-क—स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के
आदेश ।

भाग 1-ख—मैट्रिकुलेसन, आई.ए., आई.एस.सी., बी.ए,
बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग और
2, एम.बी.बी.एस., बी.सी.ई., डिप०-इन-एड.,
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम
छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

भाग 1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ
एवं नियम आदि ।

भाग 3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम
'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।

भाग-4—झारखण्ड अधिनियम

भाग-5—झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित
विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के
प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के
पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7—संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति
एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8— भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक,
संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9— विज्ञापन

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ,
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ
इत्यादि।

पूरक-

...

...

पूरक "अ"

...

...

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

संकल्प

26 सितम्बर, 2025

विषय:- L.P.A. No.-717/2023 Sangita Thakur V/s The State of Jharkhand & Ors.
में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन के निमित्त
स्व० गोपाल ठाकुर, तत्कालीन दैनिक कर्मों के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर
नियुक्ति के संबंध में ।

स०सं०-11/कोर्ट केस-35/2022-6111--LPA No.-717/2023 Sangita Thakur V/s The
State of Jharkhand and others में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक-25.07.2024 को अंतिम
न्यायादेश पारित किया गया है, जिसका अंश निम्नवत् है :-

"Conclusion:

33. This Court, based upon the aforesaid discussion on the basis of the legal position as above and going through the order passed by the learned Single Judge, is of the view that learned Single Judge has not examined the issue in the light of the aforesaid aspect of the matter. Further, the learned Single Judge has also not Considered that Rule of the year 2015 is by way of beneficial measure to provide appointment to the bereaved family due to the death of the bread earner.

34. This Court, therefore, is of the view that the impugned order needs to be interfered with.

35. Accordingly, the impugned order dated 03.04.2023 passed in W.P.(S) No.-1684 of 2022 is hereby quashed and set aside.

36. The respondent no.2, Principal Secretary, Department of Home, Jail and Disaster Manager, Government of Jharkhand is directed to take final decision with respect to the claim of the appellant-writ petitioner in the light of the observation so

made hereinabove within a period of three months from the date of receipt/production of copy of this order.

2. याचिकाकर्ता श्रीमती संगीता ठाकुर के पति स्व० गोपाल ठाकुर, उपकारा, राजमहल में दिनांक-13.02.2006 से दैनिक मजदूरी पर नाई के रूप में कार्यरत थे। अपर मुख्य सचिव, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में राज्य की काराओं में अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मी / W.P.(S) No.-6423/2014 के याचिकाकर्ताओं की सेवा नियमितीकरण हेतु दिनांक-19.05.2020 को आहूत विभागीय सेवा नियमितीकरण समिति के बैठक में कुल 183 (एक सौ तिरासी) अनियमित रूप से नियुक्त कारा कर्मियों / याचिकाकर्ताओं का सेवा नियमित किये जाने की अनुशंसा की गयी। उल्लेखनीय है कि उक्त अनुशंसा में श्री गोपाल ठाकुर की भी अनुशंसा की गयी। विभागीय संकल्प संख्या-1300, दिनांक-03.03.2021 द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा वाद संख्या-W.P.(S) No.-6423/2014 में दिनांक-04.02.2019 को तथा इससे उद्भूत अवमाननावाद संख्या-415/2019 में दिनांक-09.10.2020 एवं 29.01.2021 को पारित न्यायादेश के अनुपालनार्थ वाद के 183 (एक सौ तिरासी) याचिकाकर्ता/अनियमित रूप से कार्यरत कारा कर्मियों की सेवा नियमित की गयी। उक्त संकल्प द्वारा श्री गोपाल ठाकुर, दैनिक कर्मी की भी सेवा नियमित किये जाने का निर्णय लिया गया था। गोपाल ठाकुर, दैनिक कर्मी की मृत्यु दिनांक-04.07.2020 को हो गयी थी, जो विभागीय संकल्प संख्या-1300, दिनांक-03.03.2021 के पूर्व की घटना थी। दिनांक-04.07.2020 तक स्व० गोपाल ठाकुर, उपकारा, राजमहल में अनियमित रूप से नियुक्त दैनिक कर्मी के रूप में कार्यरत थे। श्रीमती संगीता ठाकुर, पति-स्व० गोपाल ठाकुर द्वारा अपने पति के निधन होने के उपरांत अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु कार्यालय अधीक्षक, उपकारा, राजमहल को दिनांक-12.06.2021 को आवेदन समर्पित किया गया, जिसे अधीक्षक द्वारा आवश्यक दिशा-निदेश देने हेतु कारा महानिरीक्षक को अग्रसारित किया गया। कारा निरीक्षणालय के पत्रांक-2086, दिनांक-07.09.2021 द्वारा श्रीमती संगीता ठाकुर, पति-स्व० गोपाल ठाकुर का आवेदन अस्वीकृत किया गया। श्रीमती संगीता ठाकुर के द्वारा कारा निरीक्षणालय के पत्रांक-2086, दिनांक-07.09.2021 को Quash करने एवं अपने पति की मृत्यु के उपरांत अनुकम्पा के आधार पर पुत्र की नियुक्ति हेतु W.P. (S) No.-1684/2022 संगीता ठाकुर बनाम् झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका W.P.(S) No.-1684/2022 संगीता ठाकुर बनाम् झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-03.04.2023 को पारित न्यायादेश द्वारा उक्त रिट याचिका को Dismissed कर दिया गया। श्रीमती संगीता ठाकुर के द्वारा W.P. (S) No.-1684/2022 संगीता ठाकुर बनाम् झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-03.04.2023 को पारित न्यायादेश के विरुद्ध L.P.A. No.-717/2023 संगीता ठाकुर बनाम् झारखण्ड

राज्य एवं अन्य दायर किया गया। उक्त L.P.A. No.-717/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक-25.07.2024 को अंतिम न्यायादेश पारित किया गया।

3. उपरोक्त के आलोक में, राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत एवं माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में निम्नांकित निर्णय लिया गया है :-

i. स्व गोपाल ठाकुर अनियमित रूप से कार्यरत कारा कर्मी को विभागीय संकल्प संख्या-1300, दिनांक-03.03.2021 के आलोक में दिनांक-04.07.2020 की तिथि से नाई के स्वीकृत रिक्त पद (स्वीकृत वेतनमान-5200-20200 ग्रेड पे०-1800, पुनरीक्षित वेतनमान-18000-56900, Level-1) के विरुद्ध सेवा नियमित की जाती है।

ii. स्व गोपाल ठाकुर अनियमित रूप से कार्यरत कारा कर्मी को सरकारी सेवक मानते हुए, सेवा काल में मृत सरकारी सेवक के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का परिपत्र संख्या-10167 (अनु०), दिनांक 01.12.2015 (समय-समय पर यथा संशोधित) स्व० गोपाल ठाकुर पर प्रभावी समझा जाय।

4. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभागीय संलेख संख्या - 4653, दिनांक-25.07.2025 के क्रम में दिनांक-02.09.2025 की बैठक में मद संख्या-04 के रूप में दी गयी है।

5. संकल्प निर्गत तिथि से प्रभावी होगा।

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

24 अक्टूबर, 2025

संख्या-13/आई०पी०एस०-103/2023-4108--श्री नाथू सिंह मीना भा०पु०से० (2017), पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा (SIB), झारखण्ड, राँची को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक-18.10.2025 से 07.11.2025 तक 21 (इक्कीस) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजीत कुमार सिंह
सरकार के अवर सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

24 अक्टूबर, 2025

संख्या-12/पी०-1006/2021-4119--झारखण्ड राज्य पुलिस सेवा के श्री जय प्रकाश सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, मंत्रालय सुरक्षा, झारखण्ड, राँची की सेवा झारखण्ड पुलिस सेवा नियमावली-2012 के प्रावधानों के तहत दिनांक 16.09.2017 के प्रभाव से सम्पुष्ट की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार तिर्की,
सरकार के अपर सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

16 सितम्बर, 2025

संख्या-21/सै०क० (स्था०) - 08/2025-3645--निदेशक, राज्य सैनिक कल्याण निदेशालय, झारखण्ड, राँची से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित पदाधिकारियों की संविदा सेवा अवधि अनुबंध पूर्व की सेवा शर्तों के अधीन अगले एक वर्ष तक के लिए निम्नवत विस्तारित की जाती है-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	नियुक्ति संबंधी अधिसूचना सं० एवं दिनांक	योगदान की तिथि	प्रस्तावित विस्तारित अवधि
1.	29785 Wg Cdr राजेश कुमार गुप्ता (अ०प्रा०), जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी, हजारीबाग ।	विभागीय अधि० सं०- 04/सै०क० (स्था०)- 101/2018-4097, दिनांक-20.09.2022	27.09.2022 (दिनांक-26.09. 2025 तक विस्तारित है।)	27.09.2025 से 26.09.2026 तक (एक वर्ष के लिए)
2.	IC-46752H कर्नल किशोर सिंह (अ०प्रा०), जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी, चाईबासा ।	विभागीय अधि० सं०- 04/सै०क० (स्था०)- 101/2018-4094, दिनांक- 20.09.2022	02.01.2023 (दिनांक- 01. 01.2026 तक विस्तारित है।)	02.01.2026 से 01.01.2027 तक (एक वर्ष के लिए)
3.	IC-47181F संजय प्रसाद गुप्ता (अ०प्रा०), सहायक निदेशक, राज्य सैनिक कल्याण निदेशालय, झारखण्ड, राँची।	विभागीय अधि० सं०- 04/सै०क० (स्था०)- 101/2018-4095, दिनांक-20.09.2022	02.11.2022 (दिनांक- 01. 11.2025 तक विस्तारित है।)	02.11.2025 से 01.11.2026 तक (एक वर्ष के लिए)

वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा समय-समय पर निर्गत मासिक संविदा भत्ता अनुमान्य होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मनीषा जोसेफ तिग्गा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

8 अक्टूबर, 2025

1. संख्या-16/थाना-12/2024-3882--भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-2 की उप-धारा (यू) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा अधिसूचना के निर्गत की तिथि के प्रभाव से झारखंड राज्य के निम्नलिखित 05 (पाँच) जिलों में एक-एक एन०डी०पी०एस० थाना के सृजन की घोषणा करती है:-

क्र०सं०	जिला का नाम	थाना का नाम
1.	चतरा	एन०डी०पी०एस० थाना, चतरा
2.	राँची	एन०डी०पी०एस० थाना, राँची
3.	जमशेदपुर	एन०डी०पी०एस० थाना, जमशेदपुर
4.	खूँटी	एन०डी०पी०एस० थाना, खूँटी
5.	हजारीबाग	एन०डी०पी०एस० थाना, हजारीबाग

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश तिवारी,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

18 सितम्बर, 2025

1. **संख्या-13/डी₂-101/2025-3661--सी0**, श्री अनुराग गुप्ता, भा०पु०से० (1990) महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची (HoPF) को महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखंड, राँची एवं महानिदेशक अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रभार से विमुक्त किया जाता है ।

2. **संख्या-13/डी₂-101/2025-3662--सी०**, श्री प्रशान्त सिंह, भा०पु०से० (1992) पुलिस महानिदेशक संचार एवं तकनीकी सेवाएँ, झारखण्ड, राँची अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त-पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, झारखण्ड, राँची के प्रभार में रहेंगे ।
3. **संख्या-13/डी₂-101/2025-3663--सी०**, श्रीमती सुमन गुप्ता, भा०पु० से० (1997), पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत् को अगले तक अपर पुलिस महानिदेशक, रेल, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।
4. **संख्या-13/डी₂-101/2025-3664--सी०**, श्रीमती प्रिया दूबे, भा०पु०से० (1998), अपर पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड सशस्त्र पुलिस, राँची (अतिरिक्त प्रभार- अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण एवं आधुनिकीकरण, झारखण्ड, राँची तथा अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, झारखण्ड, राँची) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर पुलिस महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

साथ ही श्रीमती दूबे, भा०पु०से० अपने कार्यों के अतिरिक्त अपर पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड सशस्त्र पुलिस, राँची तथा अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण एवं आधुनिकीकरण, झारखण्ड, राँची के प्रभार में रहेंगी ।

5. **संख्या-13/डी₂-101/2025-3665--सी०**, श्री मनोज कौशिक, भा०पु०से० (2001) प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, राँची अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रभार में रहेंगे ।
6. **संख्या-13/डी₂-101/2025-3666--सी०**, श्री क्रांति कुमार गडिदेशी, भा०पु०से० (2006) प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, बोकारो को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस महानिरीक्षक मानवाधिकार, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।
7. **संख्या-13/डी₂-101/2025-3667--सी०**, श्री नरेन्द्र कुमार सिंह भा०पु०से० (2006) पुलिस महानिरीक्षक, मानवाधिकार, झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस महानिरीक्षक, निगरानी-सह-सुरक्षा, झारखण्ड विद्युत बोर्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।
8. **संख्या-13/डी₂-101/2025-3668--सी०**, श्री शैलेन्द्र कुमार सिन्हा, भा०पु०से० (2006) प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, दुमका को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, पलामू के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
9. **संख्या-13/डी₂-101/2025-3669--सी०**, श्री सुदर्शन प्रसाद मंडल, भा०पु०से० (2006) पुलिस महानिरीक्षक (संगठित अपराध) अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची (अतिरिक्त प्रभार-कारा महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय, झारखण्ड, राँची) को स्थानांतरित करते हुए

अगले आदेश तक पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

साथ ही श्री मंडल, भा०पु०से० कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं०-753, दिनांक-03.02.2024 के क्रम में अपने कार्यों के अतिरिक्त कारा महानिरीक्षक, राँची के प्रभार में रहेंगे ।

10. **संख्या-13/डी२-101/2025-3670--सी०**, श्री सुनील भास्कर, भा०पु०से० (2007) प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, पलामू को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक बोकारो के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।
11. **संख्या-13/डी२-101/2025-3671--सी०**, श्री पटेल मयूर कनैयालाल, भा०पु०से० (2007) पुलिस महानिरीक्षक, प्रोविजन, झारखण्ड, राँची अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, दुमका के प्रभार में रहेंगे ।
12. **संख्या-13/डी२-101/2025-3672--सी०**, श्री संजीव कुमार, भा०पु०से० (2009) पुलिस उप-महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उप-महानिरीक्षक, विशेष शाखा (एस०आई०बी०), राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।
13. **संख्या-13/डी२-101/2025-3673--सी०**, श्री शैलेन्द्र प्रसाद वर्णवाल, भा०पु०से० (2010) पुलिस उप-महानिरीक्षक, विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उप-महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।
14. **संख्या-13/डी२-101/2025-3674--सी०**, श्री चौथे मनोज रतन, भा०पु०से० (2010) पुलिस उप-महानिरीक्षक, विशेष शाखा (एस०आई०बी०), राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उप-महानिरीक्षक, विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।
15. **संख्या-13/डी२-101/2025-3675--सी०**, नौशाद आलम अंसारी, भा०पु० से० (2010) पुलिस उप-महानिरीक्षक, पलामू को आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान पुलिस मुख्यालय झारखण्ड, राँची में देंगे ।
16. **संख्या-13/डी२-101/2025-3676--सी०**, श्री अजीत पीटर डुंगडुंग, भा०पु० से० (2011) पुलिस अधीक्षक, देवघर (पुलिस उप-महानिरीक्षक के पद पर उत्क्रमित) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त निदेशक, झारखण्ड पुलिस अकादमी, हजारीबाग के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

17. **संख्या-13/डी₂-101/2025-3677--सी0**, श्री चन्दन कुमार सिन्हा, भा०पु० से० (2011) वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची (पुलिस उप-महानिरीक्षक के पद पर उत्क्रमित) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उप-महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।
18. **संख्या-13/डी₂-101/2025-3678--सी0**, श्री अरविन्द कुमार सिंह, भा०पु०से० (2014) पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
19. **संख्या-13/डी₂-101/2025-3679--सी०**, श्री एहतेशाम वकारिब, भा०पु०से० (2015) पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत् को अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।
20. **संख्या-13/डी₂-101/2025-3680--सी0**, श्री अमित रेणू, भा०पु०से० (2016), पुलिस अधीक्षक, अभियान (नक्सल), राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, चाईबासा के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।
21. **संख्या-13/डी₂-101/2025-3681--सी0**, श्री सौरभ, भा०पु० से० (2016), समादेष्टा, झारखण्ड सशस्त्र पुलिस-10, होटवार, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक देवघर के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।
22. **संख्या-13/डी₂-101/2025-3682--सी0**, अजीत कुमार, भा०पु०से० (2016) पुलिस अधीक्षक, नगर, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक रेल, जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।
23. **संख्या-13/डी₂-101/2025-3683--सी0**, श्री दीपक कुमार पाण्डेय, भा०पु० से० (2016) पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत् को अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।
24. **संख्या-13/डी₂-101/2025-3684--सी०**, श्री अनिमेष नैथानी, भा०पु० से० (2016) पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत् को अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।
25. **संख्या-13/डी₂-101/2025-3685--सी0**, श्री कैलाश करमाली, भा०पु० से० (2017), पुलिस अधीक्षक, यातायात, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, रेल, धनबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

26. **संख्या-13/डी₂-101/2025-3686--सी0**, श्री राकेश रंजन, भा०पु० से० (2017), पुलिस अधीक्षक, चाईबासा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक वरीय पुलिस अधीक्षक राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

साथ ही श्री रंजन, भा०पु०से० अपने कार्यों के अतिरिक्त समादेष्टा, झारखण्ड सशस्त्र पुलिस-01, राँची के प्रभार में रहेंगे ।

27. **संख्या-13/डी₂-101/2025-3687--सी0**, श्री मनोज स्वर्गियारी, भा०पु०से० (2018) पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत् को समादेष्टा, झारखण्ड सशस्त्र पुलिस-03, गोविन्दपुर, धनबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

28. **संख्या-13/डी₂-101/2025-3688--सी०**, श्रीमती मूमल राजपुरोहित, भा०पु० से० (2020) पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समादेष्टा झारखण्ड सशस्त्र पुलिस-08, लेस्लीगंज, पलामू के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

29. **संख्या-13/डी₂-101/2025-3689--सी०**, श्री पारस राणा, भा०पु०से० (2021) अपर पुलिस अधीक्षक, अभियान, चाईबासा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक नगर, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

साथ ही श्री राणा, भा०पु०से० अपने कार्यों के अतिरिक्त- समादेष्टा, झारखण्ड सशस्त्र पुलिस-10, होटवार, राँची के प्रभार में रहेंगे ।

30. **संख्या-13/डी₂-101/2025-3690--सी0**, श्री राकेश सिंह, भा०पु०से० (2021) अपर पुलिस अधीक्षक, अभियान, पलामू को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, यातायात, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

साथ ही श्री सिंह, भा०पु०से० अपने कार्यों के अतिरिक्त-पुलिस अधीक्षक, संचार एवं तकनीकी सेवाएँ, राँची के प्रभार में रहेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजीत कुमार सिंह
सरकार के अवर सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।-----
अधिसूचना

9 अक्टूबर, 2025

सं० 13/एच०-104/2023-3945--भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक-464/ पूर्व अनु-1/झार०/2025, दिनांक-24.09.2025 द्वारा श्री माईकल राज एस०, भा०पु०से० (JH:2006), पुलिस महानिरीक्षक (अभियान), झारखण्ड, राँची को राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है ।

श्री माईकल राज एस०, भा०पु०से० (JH:2006), पुलिस महानिरीक्षक (अभियान), झारखण्ड, राँची अपने कार्यों के अतिरिक्त राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी (SPNO) के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे ।

राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी (SPNO) के रूप में श्री माईकल राज एस०, भा०पु०से० का कार्यकाल 03 (तीन) वर्ष अथवा अगले आदेश, जो भी पहले हो तक के लिए होगा तथा वे भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक-464/L&O/2023/EPS, दिनांक-07.06.2023 द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों के आलोक में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजीत कुमार सिंह
सरकार के अवर सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।-----
अधिसूचना

26 सितम्बर, 2025

सं० संख्या-13/पी₁-103/2021-3800--सी० श्री ऋषभ त्रिवेदी, परीक्ष्यमान, भा०पु०से० (2022) पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को अगले आदेश तक सहायक पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजीत कुमार सिंह
सरकार के अवर सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

6 अक्टूबर, 2025

संख्या-16/विविध-06/2019--3837--राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या-1169, दिनांक-27.02.2017 (यथा संशोधित) में निम्नांकित संशोधन किया जाता है:-

विभागीय अधिसूचना सं०-1169, दिनांक-27.02.2017 (यथा संशोधित) के कंडिका-10 (क) के वाक्यांश "विशेष परिस्थिति में कुल सेवा अवधि 08 (आठ) वर्ष से अधिक नहीं होगी"

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"विशेष परिस्थिति में कुल सेवा अवधि 09 (नौ) वर्ष से अधिक नहीं होगी"

2. विभागीय अधिसूचना संख्या-5445, दिनांक-13.09.2024 द्वारा निर्धारित नियत मानदेय, वर्दी भत्ता, अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ इन्हें पूर्व की भाँति अनुमान्य होगी।
3. उपरोक्त अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझा जाय।
4. यह अधिसूचना निर्गत तिथि से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश तिवारी,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

29 अक्टूबर, 2025

सं0-14/ए०-13/2021-4139--श्री प्रेमनाथ, तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक (मु०-02), पलामू सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा डाल्टनगंज थाना काण्ड संख्या-60/2018, दिनांक-25.02.2018 मामले में त्रुटिपूर्ण पर्यवेक्षण करने एवं दायित्वों का पालन नहीं करने संबंधी आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। तदहेतु उक्त आरोपों के लिए श्री प्रेमनाथ के विरुद्ध संकल्प संख्या-2958, दिनांक-21.07.2025 के द्वारा विभागीय कार्यवाही का संचालन किया गया। विभागीय जाँच पदाधिकारी के मंतव्य एवं श्री प्रेमनाथ द्वारा प्रस्तुत पक्ष पर विचार किया गया ।

सभी तथ्यों के समीक्षोपरान्त श्री प्रेमनाथ, तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक (मु०-02), पलामू सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया है ।

अतएव विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आलोक विभागीय संकल्प संख्या-2958, दिनांक-21.07.2025 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही एतद् द्वारा निस्तारित करते हुए श्री प्रेमनाथ, तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक (मु०-02), पलामू सम्प्रति सेवानिवृत्त को आरोप मुक्त किया जाता है ।

प्रस्ताव पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह,

सरकार के उप सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

12 सितम्बर, 2025

संख्या-4/नि०सं०-12-142/2015-33021 (HRMS)--झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्री उमेश कुमार स्वांसी, झा0प्र0से0, (कोटि क्रमांक-355/20, गृह जिला-राँची) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ-6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण संपुष्ट की जाती है :-

Sl. No.	Employee Name G.P.F. No.	Current Department	Current Office Current Designation	Joining Date in Service	Date of Service Confirmation
1	2	3	4	5	6
1	UMESH KUMAR SWANSI- (110003225844)	DC OFFICE GUMLA	<u>DUMRI</u> <u>BLOCK</u> <u>.GUMLA</u> Block Development Officer	11/02/2013	11/07/2025

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:20060400057

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

12 सितम्बर, 2025

संख्या-2/नि०सं०-12-41/2022-33022 (HRMS)--झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्रीमती ममता मराण्डी, झा0प्र0से0, (कोटि क्रमांक-176/25, गृह जिला- गोड्डा) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ-6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण संपुष्ट की जाती है :-

Sl. No.	Employee Name G.P.F. No.	Current Department	Current Office Current Designation	Joining Date in Service	Date of Service Confirmation
1	2	3	4	5	6
1	MAMTA MARANDI- (JHK/JAS/N251)	DC OFFICE DUMKA	<u>KATHKUND</u> <u>CIRCLE</u> <u>.DUMKA</u> Circle Officer	11/07/2022	29/04/2025

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्दु दोराईबुरु,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या:20060400057

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

26 सितम्बर, 2025

संख्या-2/नि०सं०-12-15/2022-33165 (HRMS)--झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्री विजय कुमार मंडल, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-148/25, गृह जिला- जामताड़ा) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ-6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण संपुष्ट की जाती है :-

Sl. No.	Employee Name G.P.F. No.	Current Department	Current Office Current Designation	Joining Date in Service	Date of Service Confirmation
1	2	3	4	5	6
1	BIJAY KUMAR MANDAL- (Jhk/jas/n285)	DC OFFICE GODDA	<u>THAKURGANGATI</u> <u>BLOCK, GODDA</u> Block Development Officer	13/07/2022	06/03/2025

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्दु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:20060400057

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

8 अक्टूबर, 2025

संख्या-2/नि०सं०-12-16/2020-33210 (HRMS)-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्री सालखू हेम्ब्रम, झा0प्र0से0, (कोटि क्रमांक-125/25, गृह जिला- पूर्वी सिंहभूम) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ-6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण संपुष्ट की जाती है :-

Sl. No.	Employee Name G.P.F. No.	Current Department	Current Office Current Designation	Joining Date in Service	Date of Service Confirmation
1	2	3	4	5	6
1	SALKHU HEMBRAM- (110003335714)	DC OFFICE WEST SINGHBHUM	<u>HAATGAMHARIA</u> <u>BLOCK, WEST</u> <u>SINGHBUM</u> Block Development Officer	11/08/2020	10/03/2024

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव

जीपीएफ संख्या:20060400057

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

26 अगस्त, 2025

1. संख्या-06/अभि० (प्रोन्नति)-07-01/2024-5258--झारखण्ड अभियोजन सेवा के **सुश्री मिनी लकड़ा**, लोक अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय, लोहरदगा को कार्यहित में स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जिला अभियोजन कार्यालय, **राँची** में पदस्थापित किया जाता है।

2. संख्या-06/अभि० (प्रोन्नति)-07-01/2024-5259--झारखण्ड अभियोजन सेवा के **श्री अभय प्रसाद पाण्डेय**, अपर लोक अभियोजक, अनुमण्डल अभियोजन कार्यालय, **घाटशिला**, **पूर्वी सिंहभूम** को कार्यहित में स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जिला अभियोजन कार्यालय, **पलामू** में पदस्थापित किया जाता है।

श्री अभय प्रसाद पाण्डेय अपने कार्यों के अतिरिक्त नवपदस्थापित जिला के निगरानी एवं MP/MLA विशेष न्यायालय में अभियोजन संबंधी कार्य करेंगे।

3. संख्या-06/अभि० (प्रोन्नति)-07-01/2024-5260--झारखण्ड अभियोजन सेवा के **श्री सुनील कुमार सिंह**, अपर लोक अभियोजक, अभियोजन निदेशालय, **राँची** को कार्यहित में स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जिला अभियोजन कार्यालय, **देवघर** में पदस्थापित किया जाता है।

श्री सुनील कुमार सिंह अपने कार्यों के अतिरिक्त नवपदस्थापित जिला के POCSO विशेष न्यायालय में अभियोजन संबंधी कार्य करेंगे।

4. संख्या-06/अभि० (प्रोन्नति)-07-01/2024-5261--झारखण्ड अभियोजन सेवा के **श्री मनोज कुमार लकड़ा**, अपर लोक अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय, **लातेहार** को कार्यहित में स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जिला अभियोजन कार्यालय, **खूँटी** में पदस्थापित किया जाता है।

5. संख्या-06/अभि० (प्रोन्नति)-07-01 / 2024-5262--झारखण्ड अभियोजन सेवा के **श्री शिवशंकर राम**, अपर लोक अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय, **कोडरमा** को कार्यहित में स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जिला अभियोजन कार्यालय, **लातेहार** में पदस्थापित किया जाता है।

श्री शिवशंकर राम अपने कार्यों के अतिरिक्त नवपदस्थापित जिला के POCSO विशेष न्यायालय में अभियोजन संबंधी कार्य करेंगे।

6. संख्या-06/अभि० (प्रोन्नति)-07-01/2024-5263--झारखण्ड अभियोजन सेवा के **सुश्री सोनी कुमारी**, अपर लोक अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय, **कोडरमा** को कार्यहित में स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जिला अभियोजन कार्यालय, **जामताड़ा** में पदस्थापित किया जाता है।

7. संख्या-06/अभि० (प्रोन्नति)-07-01/2024-5264--झारखण्ड अभियोजन सेवा के **श्री प्रवीण कुमार सिंह**, अपर लोक अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय, **पलामू** को कार्यहित में स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जिला अभियोजन कार्यालय, **कोडरमा** में पदस्थापित किया जाता है।

8. संख्या-06/अभि० (प्रोन्नति)-07-01/2024-5265--झारखण्ड अभियोजन सेवा के **श्री राजेश कुमार लाल**, अपर लोक अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय, **हजारीबाग** को कार्यहित में स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल अभियोजन कार्यालय, **घाटशिला, पूर्वी सिंहभूम** में पदस्थापित किया जाता है।

9. संख्या-06/अभि० (प्रोन्नति)-07-01/2024-5266--झारखण्ड अभियोजन सेवा के **श्री बिजेन्द्र कुमार सहाय**, अपर लोक अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय, **भ्र०नि०ब्यूरो**, राँची को कार्यहित में स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जिला अभियोजन कार्यालय, **चाईबासा** में पदस्थापित किया जाता है।

श्री बिजेन्द्र कुमार सहाय अपने कार्यों के अतिरिक्त नवपदस्थापित जिला के निगरानी एवं MP/MLA विशेष न्यायालय न्यायालय में अभियोजन संबंधी कार्य करेंगे।

10. संख्या-06/अभि० (प्रोन्नति)-07-01/2024-5267--झारखण्ड अभियोजन सेवा के **श्री रामकिंकर पाण्डेय**, अपर लोक अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय, **चाईबासा** को कार्यहित में स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अवकाश रक्षित पद के विरूद्ध अभियोजन निदेशालय, **राँची** में पदस्थापित किया जाता है।

11. संख्या-06/अभि० (प्रोन्नति)-07-01/2024-5268--झारखण्ड अभियोजन सेवा के **सुश्री किरण पटेल**, सहायक लोक अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय, गिरिडीह को कार्यहित में स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जिला अभियोजन कार्यालय, **बोकारो** में पदस्थापित किया जाता है।

12. संख्या-06/अभि० (प्रोन्नति)-07-01/2024-5269--झारखण्ड अभियोजन सेवा के **सुश्री निधि त्रिपाठी**, सहायक लोक अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय, **कोडरमा** को कार्यहित में स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जिला अभियोजन कार्यालय, **धनबाद** में पदस्थापित किया जाता है।

13. संख्या-06/अभि० (प्रोन्नति)-07-01/2024-5270--झारखण्ड अभियोजन सेवा के **सुश्री विजय लक्ष्मी पटेल**, सहायक लोक अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय, **धनबाद** को कार्यहित में स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जिला अभियोजन कार्यालय, **कोडरमा** में पदस्थापित किया जाता है।

14. संख्या-06/अभि० (प्रोन्नति)-07-01/2024-5271--झारखण्ड अभियोजन सेवा के **श्री रोहित आनन्द**, सहायक लोक अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय, **हजारीबाग** को प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल अभियोजन कार्यालय, **राजमहल** में पदस्थापित किया जाता है।

- 15. संख्या-06/अभि० (प्रोन्नति)-07-01/2024-5272--**झारखण्ड अभियोजन सेवा के **श्री संगम कुमार**, सहायक लोक अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय, **राँची** को कार्यहित में स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जिला अभियोजन कार्यालय, **लातेहार** में पदस्थापित किया जाता है।
- 16. संख्या-06/अभि० (प्रोन्नति)-07-01/2024-5273--**झारखण्ड अभियोजन सेवा के **सुश्री स्नेहा कुमारी**, सहायक लोक अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय, **खूँटी** को कार्यहित में स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अवकाश रक्षित पद के विरूद्ध अभियोजन निदेशालय, **राँची** में पदस्थापित किया जाता है।
- 17. संख्या-06/अभि० (प्रोन्नति)-07-01/2024-5274--**झारखण्ड अभियोजन सेवा के **श्री रवि शंकर चौधरी**, अपर लोक अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय, **बोकारो** अपने कार्यों के अतिरिक्त POCSO विशेष न्यायालय में अभियोजन संबंधी कार्य करेंगे।
- 18. संख्या-06/अभि० (प्रोन्नति)-07-01/2024-5275--**झारखण्ड अभियोजन सेवा के **श्री अशोक कुमार दास**, अपर लोक अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय, **गिरिडीह** अपने कार्यों के अतिरिक्त POCSO विशेष न्यायालय में अभियोजन संबंधी कार्य करेंगे।
- 19. संख्या-06/अभि० (प्रोन्नति)-07-01/2024-5276--**झारखण्ड अभियोजन सेवा के **श्री राजीव कुमार उपाध्याय**, अपर लोक अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय, **धनबाद** अपने कार्यों के अतिरिक्त निगरानी विशेष न्यायालय में अभियोजन संबंधी कार्य करेंगे।
- 20. संख्या-06/अभि० (प्रोन्नति)-07-01/2024-5277--**झारखण्ड अभियोजन सेवा के **सुश्री मिनाक्षी कन्दुलना**, अपर लोक अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय, **हजारीबाग** अपने कार्यों के अतिरिक्त MP/MLA विशेष न्यायालय में अभियोजन संबंधी कार्य करेंगे।
- 21. संख्या-06/अभि० (प्रोन्नति)-07-01/2024-5278/--**झारखण्ड अभियोजन सेवा के **श्री शर्मानन्द राजीव**, सहायक लोक अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय, **हजारीबाग** अपने कार्यों के अतिरिक्त **MP/MLA** विशेष न्यायालय में अभियोजन संबंधी कार्य करेंगे।

यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

धनेश कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ।

आदेश

11 नवम्बर, 2025

संख्या-2/रा०स्था०(विविध)-23/2024- 2988/रा०,-- श्री रवि भूषण प्रसाद, तत्कालीन अंचल अधिकारी, बानो, सिमडेगा सम्प्रति अंचल अधिकारी, कोडरमा सदर को चिकित्सीय कारणों से उनके द्वारा समर्पित चिकित्सा प्रमाण पत्र के निमित्त दिनांक- 29.09.2024 से 06.01.2025 तक कुल 100 दिनों के अवकाश में व्यतीत की गयी अवधि को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के आलोक में उपार्जित अवकाश के रूप में घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रस्ताव पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

रामेश्वर लेयांगी,

सरकार के संयुक्त सचिव
